भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

Title:सार्वजनिक सूचना

Reference No.:IRDAI/NL/SP/SFSP/59/2020-21 **Date:**26/06/2020

मानक अग्नि और विशेष खतरों के खंड में निवास-गृहों और छोटे व्यवसाय के लिए मानक उत्पादों हेतु नाम के लिए सुझाव

सार्वजनिक सूचना

संदर्भ:आईआरडीएआई/एनएल/एसपी/एसएफएसपी/59/2020-21 26 जून 2020

विषय:मानक अग्नि और विशेष खतरों के खंड में निवास-गृहों और छोटे व्यवसाय के लिए मानक उत्पादों हेतु नाम के लिए सुझाव

1. विगत कुछ वर्षों में आपाती घनटाओंने, अधिकांशतःबाढ़ ने संपत्ति की, विशेष रूप से निवास-गृहों और छोटे व्यवसाय की विपुल हानि देखी है। संरक्षण का अंतराल बीमित नहीं की जा रही संपत्ति तथा पर्याप्त रूप से बीमित नहीं की जा रही संपत्ति केतौर पर विद्यमान है।
2. एक कार्य-लद की सिफारिशों केआधार पर (जहाँ click here) पर पहुँचा जा सकता है, निम्नलिखित तीन मानक उत्पाद मानक अग्नि और विशेष खतरों केखंड में प्रस्तावित हैं।वे सलर भाषा में लिखे हुए हैं तथा प्रश्नगत लक्ष्य-समूहों की आवश्यकताएँ पूरी करने केलिए अभिकल्पित हैं :
क. किसी भी बीमित राशि केलिए निवास-गृहों को कवर करनेवाली पालसी।
ख. रु. 5 करोड़ से अनधिक किसी एक स्थान पर जोखिम मूल्य से युक्त सूक्ष्म वाणिज्यिक संस्थाओं को कवर करनेवाली पालसी।
ग. किसी एक स्थान पर सभी बीमायोग्य आस्ति वर्गों में रु. 50 करोड़ से अनधिक जोखिम मूल्य से युक्त छोटी वाणिज्यिक संस्थाओं को कवर करनेवाली पालसी।
3. प्रस्तावित मानक उत्पादों केलिए उपयुक्त नाम रनखे केमहत्व को स्वीकार करते हुए, जो लक्ष्यीकृत व्यक्तियों / संस्थाओं केलिए अच्छे लगें, प्राधिकरण इसकेद्वारा उक्त उत्पादों हेतु उपयुक्त नामों केलिए सुझाव आमंत्रित करता है। नाम सुझाते समय सारे भारत में प्रयोग केअतिरिक्त, प्रासंगिकता, सलरता और याद रनखे की सुगमता का ध्यान रखा जाए।
4. अध्यक्ष, आईआरडीएआई द्वारा प्रदान किये जानेवाले प्रशंसापत्रों केसाथ, चयनति नाम केप्रस्तावक केलिए उक्त उत्पादों में से प्रत्येक उत्पाद के लिए रु. 10,000 का नकद पुरस्कार नधिारित किया गया है। सुझाव कृपया ई-मेल आईडी:nl-products@irdai.gov.inपर 10 जुलाई 2020 तक भेजे जाएँ।

(यज्ञप्रिया भरत)
मुख्य महाप्रबंधक